

m879/DY, No 31

MINISTRY OF FINANCE  
(DEPARTMENT OF REVENUE)  
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

New Delhi, the 21<sup>st</sup> March, 2016

NOTIFICATION  
(INCOME-TAX)

S.O.\_\_\_\_ (E). - Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by clause(iii) of sub-section(4) of section 80-IA of the Income-tax Act, 1961(43 of 1961)(hereinafter referred to as the said Act), has framed and notified a scheme for industrial park, by the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue, Central Board of Direct Taxes) vide number S.O. 51 (E), dated the 8<sup>th</sup> January, 2008;

And whereas M/s Ascendas IT Park (Chennai) Ltd. having its registered office at 1<sup>st</sup> Floor, Pinnacle Building, International Tech Park, CSIR Road, Taramani, Chennai - 600 113 has developed an industrial park named "Crest" and "Zenith" at Plot No.9, Survey No.TS 8/1, Block No.9 Survey No.TS1/7, Block No.7, Survey No.TS 9/2 Block No.9 and Survey No.TS 1/1, Block No.7, Kanagam Village Thiruvanmiyur Village, Mambalam-Guindy Taluk/ Mylapore-Triplicane Taluka, Chennai, Tamil Nadu - 600 113.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (iii) of sub-section (4) of section 80-IA of the said Act, read with rule 18C of the Income-tax Rules, 1962, the Central Government hereby notifies the undertaking from the date of commencement of the industrial park that is the 31<sup>st</sup> March, 2011 being developed and being maintained and operated by M/s Ascendas IT Park (Chennai) Ltd., as an undertaking and the project named "Crest" and "Zenith" placed at Plot No.9, Survey No.TS 8/1, Block No.9 Survey no.TS1/7, Block No.7, Survey No.TS 9/2 Block No.9 and Survey no.TS 1/1, Block no.7, Kanagam Village Thiruvanmiyur Village, Mambalam-Guindy Taluk/ Mylapore-Triplicane Taluka, Chennai, Tamil Nadu - 600 113 for the purposes of the said clause (iii) subject to the terms and conditions mentioned in the Annexure to this notification.

**ANNEXURE**

The terms and conditions on which the approval of the Government of India has been accorded for setting up of an industrial park by M/s Ascendas IT Park (Chennai) Ltd.

- |       |                                    |   |   |
|-------|------------------------------------|---|---|
| (i)   | Name of the industrial undertaking | : | M/s Ascendas IT Park (Chennai) Ltd.   |
| (ii)  | Proposed location                  | : | Plot No.9, Survey No.TS 8/1, Block No.9 Survey no.TS1/7, Block No.7, Survey No.TS 9/2 Block No.9 and Survey no.TS 1/1, Block no.7, Kanagam Village Thiruvanmiyur Village, Mambalam-Guindy Taluk/ Mylapore-Triplicane Taluka, Chennai, Tamil Nadu - 600 113. |
| (iii) | Minimum constructed floor area     | : | 15,000 square meters.   |
| (iv)  | Proposed industrial activities     | : | As defined in Industrial Park Scheme, 2008 notified by the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue, Central Board of Direct Taxes) vide notification Number. S.O. 51 (E), dated the 8 <sup>th</sup> January, 2008.                  |

Contd on page 2/-

- (v) Percentage of allocable area earmarked for industrial use : 75% or more.
- (vi) Percentage of allocable area earmarked for commercial use : 10% or less.
- (vii) Minimum number of industrial units : 30 units.
- (viii) Date of commencement : 31<sup>st</sup> March, 2011.

2. The industrial park shall be construed as developed on the date of its commencement that is, the 31<sup>st</sup> March, 2011.

3. The industrial park should be owned by one undertaking.

4. The tax benefits under the Income-tax Act, 1961 shall be available to the undertaking only if minimum number of thirty industrial units are located in the industrial park and for the purpose of computing the minimum number of industrial units, all units of a person and his associated enterprises shall be treated as a single unit.

5. No industrial unit, alongwith the units of an associated enterprise, shall occupy more than twenty five per cent. of the allocable area.

6. The tax benefits under the Income-tax Act, 1961 shall be available only to the undertaking notified by this notification and not to any other person who may subsequently develop, develops and operates or maintains and operates the notified industrial park, for any reason.

7. The undertaking, subject to the fulfillment of the term and conditions mentioned in this notification, may at its option claim deduction under clause (iii) of sub-section (4) of section 80-IA of the Income-tax Act, 1961 for any ten consecutive assessment years out of fifteen years beginning from the assessment year relevant to the date of commencement of industrial park mentioned in this notification.

8. The industrial units located in the industrial park shall undertake only those activities as specified in Industrial Park Scheme, 2008 mentioned above.

9. The undertaking shall keep separate books of accounts for the industrial park and shall file its income tax returns by the due date before the Income-tax Department.

10. This notification shall be invalid, if-

(i) the application on the basis of which the approval is accorded by the Central Government contains wrong information or misinformation or some material information has not been provided in it;

(ii) it is for the location of the industrial park for which approval has already been accorded in the name of another undertaking,

and M/s Ascendas IT Park(Chennai) Ltd. shall be solely responsible for any repercussions of such invalidity.

Contd on page 3/-

11. The undertaking shall furnish an annual report to the Central Board of Direct Taxes in Form IPS-II as provided in the Industrial Park Scheme, 2008 mentioned above.

12. The terms and conditions mentioned in this notification as well as those included in the aforesaid Industrial Park Scheme, 2008 should be adhered to during the period for which benefits under the said scheme are to be availed and in case the undertaking, fails to comply with any of the conditions, the Central Government may withdraw the aforesaid approval.

13. Any amendment of the project plan without the approval of the Central Government or detection of such amendment in future, or failure on the part of the undertaking to disclose any material fact, shall invalidate the approval of the industrial park.

[Notification No. 20 /2016, F.No. 178/34/2011-ITA-I]



(Deepshikha Sharma)

Director to the Government of India

To

The Manager,  
Government of India Press,  
Ring Road, Mayapuri Industrial Area,  
(Near Rajouri Garden), New Delhi.

वित्त मंत्रालय  
राजस्व विभाग  
प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, तारीख 21 मार्च, 2016

अधिसूचना  
आयकर

का0अ0.....(अ). - जहां कि केन्द्र सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (एतश्मिन पश्चात जिसे उपनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 80 झक की धारा (4) के उपवाक्य (iii) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ) की अधिसूचना, का0अ0 (51) , दिनांक 8 जनवरी, 2008 को जारी करके इंडस्ट्रीयल पार्क के लिए एक योजना तैयार की है और इसे अधिसूचित किया है;

और जहां कि मै0 एसेंडास आई टी पार्क चेन्नई लि0, जिसका पंजीकृत कार्यालय पहली मंजिल, पिनाकल बिल्डिंग, इंटरनेशनल टेक पार्क, सीएसआईआर रोड, तारामणि चेन्नई -600113 में है, ने प्लॉट नं0 9, सर्वे टी एस 8/1 , ब्लॉक नं0 9 , कानागम गांव, तिरुवनावरू गांव, मम्बालम-गुंडई /तालुका / महिलापोर तिरुपलकेन तालुका, चेन्नई, तमिलनाडु 600113 में इंडस्ट्रीयल पार्क विकसित किया है जिनके नाम है क्रस्ट और जेनिथ

अतः आयकर नियमावली, 1962 के नियम 18 ग के साथ पठित, उक्त अधिनियम की धारा 80 झक की उपधारा (4) के उपवाक्य (iii) में तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद द्वारा उक्त उपवाक्य (3) (iii) के प्रयोजन के लिए , इस अधिसूचना के अनुबंध में उल्लिखित शर्तों एवं दशाओं के अधीन रहते हुए, इन प्रतिष्ठानों को , इनके प्रारंभ होने की तारीख अर्थात् 31 मार्च, 2011 से, जिसे कि मेसर्स एसेंडास आई टी पार्क (चेन्नई) लि0, के द्वारा विकसित, देखरेख और संचालित किया जा रहा है , को एक प्रतिष्ठान और परियोजना, जिसका नाम क्रिस्ट और जेनिथ है तथा जो प्लॉट नं0 9, सर्वे टी एस 8/1 , ब्लॉक नं0 9 , कानागम गांव, तिरुवनावरू गांव, मम्बालम-गुंडई /तालुका / महिलापोर तिरुपलकेन तालुका, चेन्नई, तमिलनाडु '600113 में स्थित हैं, के रूप में अधिसूचित करती है।

अनुबंध

शर्तें एवं दशाएं जिनके आधार पर भारत सरकार ने मेसर्स एसेंडास आई टी पार्क (चेन्नई) लि0 के द्वारा एक औद्योगिक पार्क की स्थापना करने के लिए अपना अनुमोदन दिया है।

1. औद्योगिक प्रतिष्ठान का नाम : मेसर्स एसेंडास आई टी पार्क (चेन्नई) लि0
2. प्रस्तावित स्थान : प्लॉट नं0 9, सर्वे टी एस 8/1 , ब्लॉक नं0 9 , कानागम गांव, तिरुवनावरू गांव, मम्बालम-गुंडई /तालुका / महिलापोर तिरुपलकेन तालुका, चेन्नई, तमिलनाडु '600113
3. न्यूनतम निर्मित प्लोर एरिया: 15000 वर्गमीटर
4. प्रस्तावित औद्योगिक कार्य : जैसा कि औद्योगिक पार्क योजना, 2008 , जिसे भारत सरकार, वित्त मंत्रालय( राजस्व विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ) ने अधिसूचना सं0 काआ0 51(अ) दिनांक 8 जनवरी, 2008 के द्वारा अधिसूचित किया है , में परिभाषित है
5. औद्योगिक उपयोग के लिए निर्धारित आबंटित क्षेत्र का प्रतिशत : 75 प्रतिशत या अधिक
6. वाणिज्यिक उपयोग के लिए आवंटिनीय क्षेत्र का प्रतिशत :10 प्रतिशत या कम
7. आद्योगिक इकाइयों की न्यूनतम संख्या: 30 इकाई
8. प्रारंभ होने की तारीख : 31मार्च, 2011

2. इस औद्योगिक पार्क के लिए यह माना जाएगा कि यह अपने प्रारंभ होने की तारीख अर्थात् 31 मार्च, 2011 से तैयार हुआ है।
3. यह औद्योगिक पार्क एक ही प्रतिष्ठान के स्वामित्व में रहेगा।
4. आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत प्रतिष्ठान को कर का लाभ तभी मिलेगा जब औद्योगिक पार्क में कम से कम 30 औद्योगिक इकाइयां होंगी और इन औद्योगिक इकाइयों की न्यूनतम संख्या की गणना के लिए किसी व्यक्ति की सभी इकाइयों को और उससे संबंधित सभी उपक्रमों को एक इकाई माना जाएगा।
5. कोई भी औद्योगिक इकाई, अपने सहयोगी उपक्रमों की इकाइयों समेत आवंटनीय क्षेत्र के 25 प्रतिशत से अधिक स्थान नहीं घरेगा।
6. आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत कर का लाभ केवल उन्हीं प्रतिष्ठानों को होगा जो इस अधिसूचना के द्वारा अधिसूचित होंगी। इस का लाभ किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को नहीं होगा जोकि बाद में अन्य किसी कारण से अधिसूचित औद्योगिक पार्क का बाद में विकास, विकास और संचालन या देख-रेख और संचालन कर्ता है।
7. ये प्रतिष्ठान, इस अधिसूचना में निर्धारित शर्तों एवं दशाओं को पूरा करने पर, आयकर अधिनियम 1961 की धारा झक की उप धारा (4) के उपवाक्य (iii) के अंतर्गत 15 वर्षों में से लगातार 10 वर्ष के लिए, जो कि इस अधिसूचना में उल्लिखित औद्योगिक पार्क के प्रारंभ होने की तारीख से संगत आकलन से प्रारंभ होगा, अपने विकल्प पर कटौती का दावा कर सकता है।
8. इन औद्योगिक पार्कों में स्थित औद्योगिक इकाइयां केवल वही कार्यकलाप करेंगी जो उपर्युक्त पार्क योजना, 2008 में विनिर्दिष्ट होंगी।
9. ये प्रतिष्ठान औद्योगिक पार्क के लिए अलग से वही खाता रखेंगे और निर्धारित तारीख तक आयकर विभाग में आयकर रिटर्न भरा करेंगे।
10. यह अधिसूचना उस समय अवैध हो जाएगी, यदि :-
  1. उस प्रयोग में जिसके आधार पर केन्द्र सरकार ने अपना अनुमोदन दिया है, गलत सूचना या छद्म सूचना दी गई हो या कुछ ऐसी सूचना नहीं दी गई हो जो सारवान हो।
  2. यह उस औद्योगिक पार्क की अवस्थिति के बारे में है जिसके लिए किसी अन्य प्रतिष्ठान के नाम से पहले ही अनुमोदन जारी किया गया हो।
- मैसर्स एसेंडास आई टी पार्क (चेन्नई) लि० इस प्रकार की अवैधता के जो भी परिणाम होंगे उसके प्रति उत्तरदायी होगा।
11. यह प्रतिष्ठान उपर्युक्त औद्योगिक पार्क योजना, 2008 में यथा विनिर्दिष्ट फार्म आईपीएस-11 में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को अपनी वार्षिक रिपोर्ट पस्तुत करेगा।
12. इस अधिसूचना में उल्लिखित शर्तों और दशाएं तथा वेशर्तों और दशाओं, का जो कि उपर्युक्त औद्योगिक पार्क योजना, 2008 में दी गई हैं, उस अवधि के दौरान अनुपालन किया जाएगा जिस अवधि के लिए उक्त योजना के अंतर्गत लाभ लिया गया हो और यदि यह प्रतिष्ठान किसी भी शर्त को पूरा करने में असफल रहता है तो केन्द्र सरकार उपर्युक्त अनुमोदन को वापस ले सकती है।
13. यदि केन्द्र सरकार के अनुमोदन के बिना उपर्युक्त परियोजना में कोई संशोधन होता है या किसी ऐसे संशोधन का भविष्य में पता चलता है या यह प्रतिष्ठान कोई सारवान तथ्य को प्रकट नहीं करता है तो इससे औद्योगिक पार्क का अनुमोदन अवैध हो जाएगा।

(अधिसूचना सं० 2०/2016, फा० सं० 178/34/2011-आईटीए-1)

दीपशिखा

(दीपशिखा शर्मा)

निदेशक, भारत सरकार

सेवा में,

मैनेजर

भारत सरकार, प्रेस

रिंग रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया,

(नीयर राजौरी गार्डन) नई दिल्ली।